15/11/22	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश T.I. हेतु पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस के दौरान वादी वकील ने निवेदन किया कि Tenancy की प्रोपर्टी है। जब तक बँटवारा न हो जाये तब तक बेचान न करे। मौके व रिकॉर्ड की T.I. दे। facts को सिद्ध करता हुँ इसका उत्तर नहीं आया। मेरी प्रा०प्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में ज
	स्वीकार करे। तीनो चीज मेरे पक्ष में है। TI grant हो। इसके उपरान्त प्रतिवादी वकील ने निवेदन किया कि ये अजनबी व्यक्ति है। हमारे परिवार के सदस्य नहीं है। जबरदस्ती कब्जा न करे। हमारी पारिवारिक संपत्ति है। इसलिए TI खारिज हो। इसके प्रत्युत्तर में वादी वकील ने निवेदन किया कि जो Argument किये वो तथ्य + रिकॉर्ड पेश नहीं किये केवल जमाबन्दी है। Purcharge की भी है, बैयनामे लिखा है। Possession दिया गया है। इसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी वकील ने निवेदन किया कि सारे जमीन पर कब्जा दिया जाता है। किस नम्बर पर दिया। पहले बँटवारा कराये। इसलिए प्रार्थना पत्र 2/2 खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	विचाराधीन प्रकरण विवादित आराजी दोनो पक्षकारान् की सह खातेदारी की भूमि है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। विभिन्न उच्च अदालतों द्वारा समय-2 पर अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सहखातेदार संयुक्त खाते की आराजी में दूसरे सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करवा सकता। चूंकि प्रतिवादीगण भूमि के सहखातेदार है तथा आराजी का अभीतक विभाजन नही हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में साबित नही होता है। अपूर्णीय क्षति- जैसाकि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि विवादित आराजी में वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता है और प्रतिवादी चूंकि के सहखातेदार है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रतिवादीगण के ही अधिकारों का हनन होगा, जिससे अपूर्णीय क्षति भी प्रतिवादीगण को ही होगी। इस

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
	प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन -- चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा से उपरोक्त दोनों बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को रोका जाता है तो उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे प्रतिवादीगण को ही असुविधा कारित होने की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रा०पत्र 210 RT Act न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली मुताबिक नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर कक्ष की जावे। सोलम मुनादी हो।	SD